राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

विषय : विभागों एवं कार्यालयों में समर्पित सेल के गठन के संबंध में।

उक्त विषय में लेख है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के स्तर से समर्पित सेल के गठन के संबंध में बजट घोषणा वर्ष 2010–11 के बिन्दु संख्या 4(iii) में "प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को ओर प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु निर्देश क्रमांक प. 17(1)प्र.सु./आरटीआई/2010 दिनांक 8.6.2010 मे यह निर्णय लिया गया था कि –

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता प्रभावी ढंग से जनहित में पूर्ण जनसुविधा के साथ हो रहा है अथवा नहीं की समीक्षा हेतु शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर प्रत्येक विभाग में नियुक्त लोक सूचना अधिकार और सहायक लोक सूचना अधिकारी के अतिरिक्त एक समर्पित सेल का गठन भी किया जाना है। सेल में कम से कम 3 अधिकारी होने चाहिए। सेल के द्वारा शासन स्तर, विभाग स्तर पर पृथक–पृथक सूचना का अधिकार अधिनियम की क्रियान्विति का निरीक्षण एवं समीक्षा की जाकर प्रशासनिक सुधार विभाग को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट भेजी जानी है।"

माह सितम्बर, 2010 में प्रत्येक विभाग में समर्पित सेल के गठन की कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जानी थी किन्तु यह तथ्य ध्यान में लाया गया है कि अनेक विभागों एवं कार्यालयों के स्तर से अभी तक समर्पित सेल के गठन की कार्यवाही नहीं हुई है। अतः कृपया आपके विभाग/कार्यालय में समर्पित सेल का गठन कर सूचना निम्न प्रारूप में तत्काल प्रेषित करें:–

विभाग/कार्यालय का नाम ....

क्र.सं.	समर्पित सेल के अधिकारीगण का नाम व पदनाम	दूरभाष नम्बर

(हस्ताक्षर)
प्रमुख शासन सचिव

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
....विभाग

अशा.टीप सं. प. 19(2)प्र.सु./आरटीआई/2010
जयपुर दिनांक: 12-10-2010